

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
4/5/26	<p>पत्रा. पैरा / TDR रिपोर्ट प्राप्त। Tehsil की रिपोर्ट में क्र.न. 239 की पूर्व दिशा से चालू शस्ता होना बताया है। पहुँच मार्ग हेतु क्र.न. 239 की उत्तर दिशा की मैड से बास्ता प्रस्तावित बताया है परन्तु शूज़ि की वर्तमान स्थिति या वैकल्पिक मार्ग का उल्लेख नहीं दिया है। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब के साथ संलग्न दस्तावेज़ों में पत्रा न. 228 की पत्रा गिरदावरी रबी 2025 व फरीफ 2025 पैरा की गई है। उक्त ज़मीन पर रबी 2025 में सबजों व फरीफ 2025 में सोयाबीन बो की गई थी। इससे यह प्रमाणित होता है कि शूज़ि पर फसल उगाई जा रही है। धारा 251A के प्रावधान में absolute necessity का प्रावधान है। यदि शूज़ि पर पहुँचने का कोई रास्ता नहीं होता तो शूज़ि पड़त होती परन्तु गिरदावरी की रिपोर्ट शूज़ि का उपज में दिखा रही है। अतः वादी प्रार्थना पत्र में section 251A RT Act के तहत absolute</p>	<p>3/1/26</p> <p>3/5/26</p>

उपरोक्त अधिकारी  
साराजमण्डी

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुकम की में जारी
---------------	-----------------------------------	---

necessity की condition को  
prove नहीं कर पाया है।

प्राथमिक पर अंतर्गत धारा 257A खारिज  
किया जाता है।

पत्रावली फंसल गुमार टैकर वरिष्ठ  
दफ्तर है।

Che  
4/5/24  
उपखण्ड अधिकारी  
राम जिनण्डी